न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/एफ०टी०सी० प्रथम, फिरोजाबाद

प्रकीर्ण सं०-1006/2026

अरुण कुमार बनाम आकाश आदि।

दिनांक-09-06-2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र धारा-173 (4) बी०एन०एस० पर सुना।

प्रार्थी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.2026 समय करीब 11:30 दिन में मेरे ही परिवार के आकाश, हरेश कुमार पुत्रगण अजयपाल व अजयपाल पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम भैंसा वृजपुर थाना रजावली जिला फिरोजाबाद अपने अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर प्रार्थी के घर में घुस आये और आते ही गन्दी गन्दी गालियां देकर मेरे साथ मारपीट करने लगे जिससे मुझे चोटे आयी चीख पुकार करने पर गाँव के बहुत से लोग दआ गये जिनको आता हुआ देखकर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उपरोक्त लोग जमीन को लेकर रंजिश मानते है। इसलिये इन लोगों ने यह घटना कारित की है। प्रार्थी ने घटना की तहरीर थाने पर दी थी, थाने वाले उपरोक्त लोगो में से एक व्यक्ति को पकडकर थाने पर लाये और उसका चालान धारा 151 सी०आर०पी०सी० में कर दिया था। लेकिन प्रार्थी की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया और न ही थाने से मजरूबी चिट्ठी दीऔर न ही प्रार्थी का मुकदमा कायम किया। घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भेजा किन्तु कार्यवाही नही होने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में सूची से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरेाजाबाद को प्रेषित प्रार्थनापत्र, डाक रसीद, आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी का अपने ही परिवार के विपक्षीगण आकाश, हरेश कुमार पुत्रगण अजयपाल व अजयपाल पुत्र सुल्तान सिंह निवासी भैंसा बृजपुर थाना रजावली जिला फिरोजाबाद से शराब के नशे में विवाद विवाद हो गया था जिसके क्रम में एकपक्षीय निरोधात्माक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 126/135/170 बी०एन०एस० दिनांक 25-04-2026 को विरुद्ध विपक्षी आकाश पत्र अजयपाल निवासी उपरोक्त के विरुद्ध की गयी थी। प्रार्थना पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों की पुष्टि नही हो सकी। आवेदक अरुण कुमार उपरोक्त द्वारा दबाव बनाने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक अरुम कुमार उपरोक्त द्वारा दबाव बनाने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक अरुण कुमार उपरोक्त द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि विपक्षी द्वारा आवेदक के साथ लाठी डण्डों से मारपीट व गाली गलौज करने करने का आरोप कथित किये गये है।प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा आवेदक के साथ लाठी डण्डों से मारपीट की जिससे प्रार्थी को गम्भीर चोटें आयी हैं। परन्तु प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा यह नही बताया गया कि उसका मेडीकल कौन से अस्पताल में हुआ और न ही दिनांक व समय अंकित किया गया। चोटों का मेडीकल कराने के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न नही किया गया।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चिकित्सीय प्रपत्रों के आभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुशार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 09-06-2026

सिविल जज (जू०डि०)/
एफ०टी०सी० प्रथम, फिरोजाबाद।